राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :– प.25(13)आयु./2016 जयपुर, दिनांक : 17 JUL 2019

आदेश

सलाहकार एवं औषधि उपनियत्रंक (पदनामित), आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने अपने आदेश क्रमांक T.11011/02/2019-DCC (AYUSH) दिनांक 23.05.2019 में उल्लेख किया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और तदन्तर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम, 152 आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के अनुज्ञापन प्राधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित है, नियम, 162–क में अनुज्ञापन प्राधिकारी की योग्यता का उल्लेख है और नियम 167 में औषध निरीक्षक की योग्यताएं दी गई है, तथापि आयुर्वेद, सिद्धा एवं यूनानी औषधियों के लिए नियत्रंक प्राधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान विनिर्दिष्ट नहीं किये गये है।

तदनुसार आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के विनियमन हेतु बनाये गये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और तदन्तर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों का कार्य निष्पादन करने के लिए धारा 33त अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान राज्य के क्षेत्राधिकार हेतु निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और तदन्तर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों का कार्य निष्पादन करने के लिए नियत्रंक प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियों के बारे में विनियामक/प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक और अनुज्ञापन प्राधिकारी उनके अधीनस्थ होगें।

आज्ञा से,

(एच.एम.ढाका) 16/7
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
5. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
8. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत् ।
9. निदेशक, होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
10. Advisior cum deputy Drug Controller (Designated) को उनके आदेश क्रमाक T.11011/02/2019-DCC (AYUSH) दिनांक 23.05.2019 के क्रम में प्रेषित है।
11. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मे प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है (राज–ई गजट मॉड्यूल अन्तर्गत ऑनलाईन कर, पृथक से प्रेषित किया जा रहा है)।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
13. प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
14. औषधि नियत्रंक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ।
15. अनुज्ञापन प्राधिकारी/सहायक औषधि नियत्रंक, आयुर्वेद विभाग जयपुर।

16/07
(बाबू लाल मीना)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner